[illegible] खण्ड अधिकारी, [illegible]

24.2.22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादी उप. नहीं। श्री वकील वादी व स्वयं वादी को तीन बार आवाज लगवाई गयी। बावजूद सूचना के न्यायालय में उप. नहीं है। अतः वादी का वाद अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियम अनुसार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:52:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner